



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273638
CG-DL-E-19062026-273638

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3129]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948

No. 3129]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3252(अ).— केंद्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सिक्किम राज्य के पूर्व सिक्किम जिले में स्थित नाथू ला चेक पोस्ट को कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/निकास के लिए अस्थायी आधार पर जांच चौकी के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

[फा.सं. 25022/28/2025-आप्र.]

डॉ०. संदीप एन महात्मे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

S.O. 3252(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), the Central Government hereby designates Nathu La Check Post

located in the East Sikkim District of Sikkim State as an authorized Immigration Post on a temporary basis for entry into/exit from India with valid travel documents for the pilgrims of Kailash Manasarovar Yatra 2026.

[F. No. 25022/28/2025-Imm]

Dr. SANDEEP N MAHATME, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3253(अ).— केंद्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख ला चेक पोस्ट को कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/निकास के लिए अस्थायी आधार पर जांच चौकी के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

[फा.सं. 25022/28/2025-आप्र.]

डॉ०. संदीप एन महात्मे, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

S.O. 3253(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), the Central Government hereby designates Lipulekh La Check Post located in the Pithoragarh District of Uttarakhand State as an authorized Immigration Post on a temporary basis for entry into/exit from India with valid travel documents for the pilgrims of Kailash Manasarovar Yatra 2026.

[F. No. 25022/28/2025-Imm]

Dr. SANDEEP N MAHATME, Jt. Secy.